7633/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 199355

विक्रय – पत्र

1– वक्फ से सम्बन्धित – नहीं है ।

2– भूमि का प्रकार – कृषि भूमि

3– ग्राम – नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर शाहजहाँपुर।

4– सम्पत्ति का विवरण–खसरा सं0 10/0.162, 11/0.975, 12/0.134 व खसरा संख्या 13/0.254 कुल 4 किता क्षेत्रफल 1.525 हेक्टेयर में से 1/5 भाग बय किया गया ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 199313

(2)

5– विक्रीत क्षेत्रफल – 0.305 हेक्टेयर

6– मापन की इकाई– हेक्टेयर

7– दर – 11,48,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर

8– सड़क की स्थिति – सड़क से करीव एक किलोमीटर दूर

9– प्रतिफल की धनराशि– 3,00,000/– रूपये

10– सम्पत्ति की मालियत – 3,51,000/– रूपये

11– विलेख पर अदा स्टाम्प शुल्क – 24,600/– रूपये

12– पक्षों की संख्या – विक्रेता – 01, क्रेता –01

Rajeevan Aut.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.5000

रु.5000 पांच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

21 JUN 2011

C.C. S.T.O.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 199314

दिलशाद खां पुत्र स्व0 अख्तर खां निवासी मोहल्ला मेहमान शाह तहसील सदर जिला–शाहजहाँपुर – – प्रथम पक्ष

एवम्

राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री शान्ती प्रसाद अग्रवाल निवासी मोहल्ला अजीजगंज शाहजहाँपुर। – – द्वितीय पक्ष

जो कि आराजी काश्त जिसका पूर्ण विवरण बैनामे के अन्त में अंकित है स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला– शाहजहाँपुर है । जो भूमि प्रथम पक्ष के पिता श्री अख्तर खां बजरिये बैनामा दिनांक 11–11–1980 इकरारी हाजी शफायतउल्ला खां उर्फ बुद्धन खाँ से खरीदी थी जिस बैनामे का पंजीकरण कार्यालय उप निबन्धक सदर शाहजहाँपुर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1004 के पृष्ठ संख्या 155–159 में क्रम संख्या 3709 पर दिनांक 12–11–1980 को हुआ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 199315

था । अख्तर खॉ की मृत्यु के बाद प्रथम पक्ष को उक्त भूमि अपने 3 भाइयों व माँ श्रीमती वासरा बेगम सहित विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें प्रथम पक्ष का 1/5 अंश है और प्रथम पक्ष का अपने अंश की सम्पत्ति पर कब्जा व दखल है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष नाम अंकित चला आ रहा है तथा प्रथम पक्ष को उक्त सम्पत्ति की बावत सभी प्रकार के मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष का नाम अंकित है। लिहाजा प्रथम पक्ष ने स्वस्थ चित्त, सचेत व संज्ञान इन्द्रियों की अवस्था में उक्त सम्पत्ति को वदस्त द्वितीय पक्ष मुवलिग 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) जिसके कि आधे 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) रूपये होते हैं समस्त प्रतिफल बैनामे के अन्त में अंकन अनुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर विक्रय कर दिया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 911280

वरिष्ठ कोषाधिकारी
S.T.O.

(5)

और विक्रीत आराजी काश्त पर मौके कब्जा व दखल दे दिया और द्वितीय पक्ष को अपने समान पूर्ण रूप से मालिक व काविज व दखील करा दिया । अब प्रथम पक्ष का उक्त आराजी काश्त से कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं रहा । क्रेता अपने नाम दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष या उसके वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी । यदि प्रथम पक्ष की स्वामित्व की किसी कमी (Defect of title) के कारण विक्रीत सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जा व दखल से निकल जावे या उसको कब्जा न मिले तो द्वितीय पक्ष को पूर्ण हक होगा कि वह समस्त विक्रय धनराशि मय हर्जा खर्चा व अन्य नुकसान सहित प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से वसूल कर लेवे इसमें प्रथम पक्ष या उसके वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 911281

S.T.O.

विक्रीत आराजी कृषि प्रयोजनार्थ है तथा वर्तमान में कृषि कार्य में प्रयोग हो रही है । इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई इकरारनामा पूर्व में नहीं किया गया है तथा सभी प्रकार के भार से मुक्त है । यदि विक्रीत आराजी पर विकय पूर्व का कोई भार या कर्जा आदि पाया जावे तो उसके निपटान की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/विक्रेता की होगी । क्रेता व विक्रेता में से कोई पक्ष अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का नहीं हैं । आराजी विक्रीत सीलिंग पट्टा या चकबन्दी प्रक्रिया से बाधित नहीं है । विक्रीत सम्पत्ति में कोई पेड़, कुआं या कोई निर्माण आदि नहीं है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 911282

21 JUN 2011

(7)

आराजी काश्त ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर में स्थित है । जो विशिष्ट ग्राम की श्रेणी में आता है । विक्रीत सम्पत्ति के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा 11,48,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर की दरें निर्धारित है, जिस अनुसार विक्रीत सम्पत्ति 0.305 हेक्टेयर का मूल्यांकन 3,51,000/– रूपये होता है जिस पर 24,600/– रूपये का देय स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया जा रहा है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 911283

मु० से० C.C. वरिष्ठ कोषाधिकारी S.T.O.

<u>विवरण विक्रीत सम्पत्ति</u>

कृषि भूमि स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर

खसरा सं0	क्षेत्रफल	विकीत अंश
10	0.162 हे0	1/5 भाग
11	0.975 हे0	1/5 भाग
12	0.134 हे0	1/5 भाग
13	0.254 हे0	1/5 भाग

Rupcacar Aul.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 851808

(9)

विवरण प्रतिफल

समस्त प्रतिफल 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को बैनामे से पूर्व नकद अदा किया जा चुका है ।

फोटोग्राफ

सम्पत्ति– स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर
तहसील सदर जिला–' शाहजहाँपुर

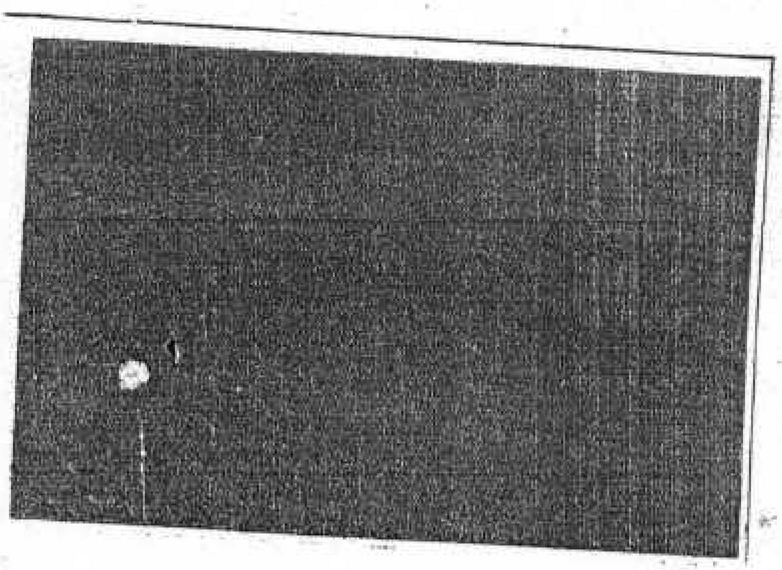

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32 ए0 के अन्तर्गत फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता – दिलशाद पुत्र स्व. अख्तर खाँ निवासी मेहमान शाह तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह –

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

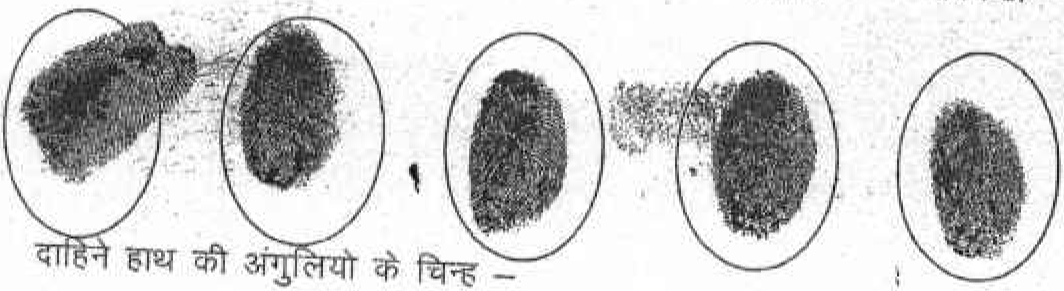

दाहिने हाथ की अंगुलियो के चिन्ह –

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / ~~क्रेता~~ के हस्ताक्षर

~~विक्रेता~~ / क्रेता का नाम व पता :– राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. शान्तिप्रसाद अग्रवाल निवासी अजीजगंज तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह –

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

दाहिने हाथ की अंगुलियो के चिन्ह –

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

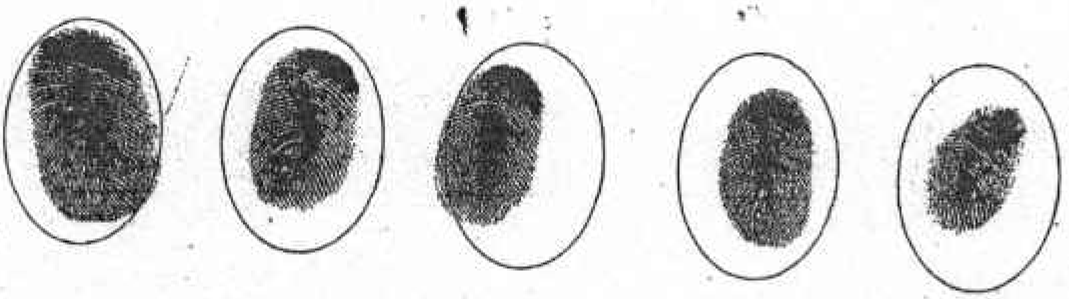

~~विक्रेता~~ / क्रेता के हस्ताक्षर

Rajeev Agarwal.

नक्शा नजरी

कृषि भूमि स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना
जमौर तहसील सदर जिला– शाहजहॉपुर

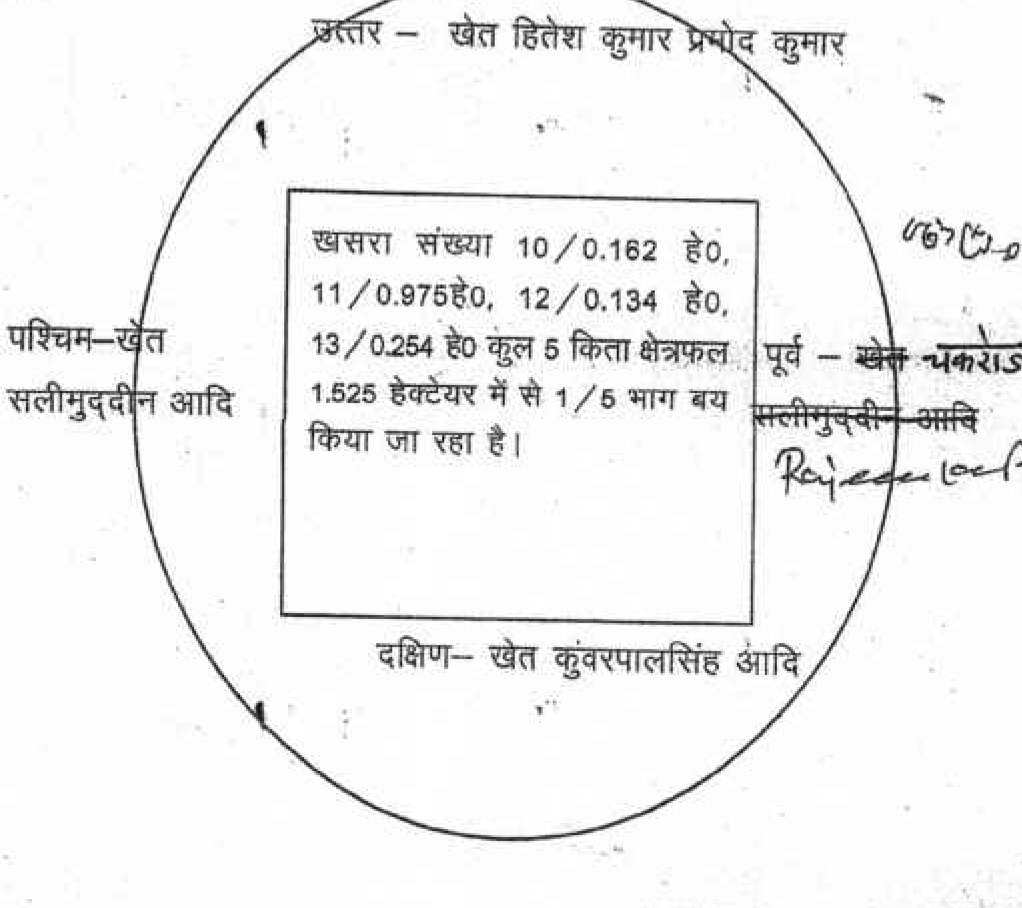

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 310272

(10)

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह 1— इश्त्याक खां पुत्र स्व0 अख्तर खां

नि0मो0 मेहमान शाह शाहजहाँपुर ।

2— महेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्री रामस्वरूप मौर्य

नि0मो0 गौहरपुरा शाहजहाँपुर ।

मसविदा द्वारा — राजकुमार मिश्र एडवोकेट शाहजहाँपुर ।

टाइप द्वारा — इन्द्रधनुष कम्प्यूटर्स, गोविन्दगंज शाहजहाँपुर

तहरीर तारीख— 27—06—2011 (सत्ताइस जून सन् दो हजार ग्यारह ईस्वी)

क्रम 1466/1 विक्रय दिनांक 24-06-11

मूल्य . . . . . मैं. शाकहलाट —

नाम क्रेता दिलशाद रजा पति का नाम स्व० मज़फ्फर खां

पता मोहल्ला [illegible] नः- [illegible] शाह०

दस्तावेज का [illegible]

स्टाम्प का क्रेता अशोक कुमार —

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 28 [illegible]

स्टाम्प क्रमांक ... 17 /11
स्टाम्प बिक्री की तिथि ...
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ... दिलशाद खां पु० ... अख्तर खां
स्टाम्प की धनराशि ... मेहमान ... नगर-सदर शाहजहाँपुर
स्टाम्प विक्रेता
सियाराम
...

विक्रय पत्र

300,000.00/	351,...	20	7,040.00	700	
प्रतिफल	मालि...	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री दिलशा...
पुत्र श्री अख्त...
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी मेहमान ... शाहजहाँपुर
अस्थायी पता उक्त
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में ... 2011 ...
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
एम.ए.अन्सारी
उप निबन्धक सदर
शाहजहाँपुर
28/6/2011

निष्पादन लेखपत्र बाद ... धनराशि ... उक्त
विक्रेता ...

श्री दिलशाद खां
पुत्र श्री अख्तर खां
पेशा कृषि
निवासी मेहमान शाह ...

... राजीव कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री शान्ती प्रसाद अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी अजीजगंज शाहजहाँपुर

Rajeev Kumar Agarwal

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान श्री
अख्तर खां
पेशा कृषि
निवासी मेहमान शाह ...
व श्री महेन्द्र कु...
पुत्र श्री रामस्वरूप ...
पेशा कृषि
निवासी गौहरपुरा शाह...
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान ... लिए गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
एम.ए.अन्सारी
उप निबन्धक सदर
शाहजहाँपुर
28/6/2011

[illegible] 1793/2
[illegible] 25-06-11
[illegible]
[illegible] दिलशाद खां
[illegible]
[illegible] 2000
[illegible] शाहजहाँपुर

विक्रेता

Registration No.: 7633 Year : 2,011 Book No. : 1

0101 दिलशाद खां

अख्तर खां

मेहमान शाह शाहजहाँपुर

कृषि

स्टाम्प क्रमांक 1798/3

स्टाम्प बिक्री की तारीख 25-06-11

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता दिलशाद खाँ

स्टाम्प की धनराशि ....

[illegible] 5000/-

सीताराम लाइसेन्स नं० 18

कचहरी, शाहजहाँपुर

क्रेता

Registration No. : 7633 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 राजीव कुमार अग्रवाल
शान्ती प्रसाद अग्रवाल
अजीजगंज शाहजहाँपुर
व्यापार

Rajeev Kumar Agrawal

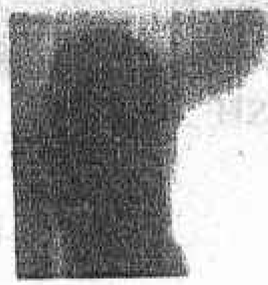

क्रमांक 1479/2 विक्रय दिनांक 27-06-11
स्टाम्प का मूल्य (शब्दों में) सौ रुपये
नाम क्रेता शलीव कुमार पिता/पति का नाम अग्रवाल
पता
हस्ताक्षर क्रेता
स्टाम्प का नाम अशोक कुमार
अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 28 जवा० शाहजहाँपुर

आज दिनांक **28/06/2011** को
वही सं. **1** जिल्द सं. **7007**
पृष्ठ सं. **25** से **50** पर कमांक **7633**
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम.ए.अन्सारी
उप निबन्धक सदर
शाहजहाँपुर
28/6/2011